



उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक—(इकाई-2)

नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1995 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु:-

स्वीकृति - पत्र

सेवा में,

ए०जे० राइडर्स प्रा०लि०,

द्वारा- निर्देशकगण श्री बलकीरत सिंह गुजराल पुत्र श्री जितेन्द्र पाल सिंह गुजराल

व श्री जितेन्द्र पाल सिंह गुजराल पुत्र श्री जसवंत सिंह गुजराल (पिता-पुत्र),

निवासीगण-200-ए, प्रेम नगर, बरेली।

पत्रांक-623

नि०प्र०-03/2016-17

दिनांक-10.3.17

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-सी०पी०-7/02, पीलीभीत बाईपास रोड, योजना संख्या-7, बरेली के निर्माण करने सम्बंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक-02.03.2017 के कम में आदेश रजिस्टर सं० के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत प्रदान की जाती है :-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. कम्पाउन्ड वाले परिषद के निर्धारित डिजाईन के अनुसार निर्मित की जानी होगी।
3. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक-10.3.17 से 9.3.2022 तक) पाँच वर्ष होगी।
4. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
5. भूखण्ड पर प्रथम बार निर्माण करने की सूचना अधिशासी अभियंता उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-23, बरेली को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
6. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बंधित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समयवृद्धि प्रमाणक प्राप्त कर लिया जाये।
7. यदि इस भवन हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा वह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
8. यह स्वीकृत केवल स्टिल्ट, प्रथम तल तथा द्वितीय तल, ममटी हेतु है।
9. यह स्वीकृत 430.02 वर्ग मी० निर्माण क्षेत्रफल के लिये 403.65 वर्ग मी० के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है।
10. स्टिल्ट फ्लोर पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार दर्शायी गयी पार्किंग के अतिरिक्त अन्य कोई भू-प्रयोग अनुमन्य नहीं होगा।
11. स्वीकृत मानचित्र में स्टिल्ट पार्किंग, अग्निशमन, स्ट्रक्चरल डिजाईन, विकलांग जनों की सुविधा इत्यादि के प्राविधान उपविधि के नियमानुसार किये जाने होंगे।

संलग्नक-स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

पृ०स०-623

/उपरोक्त/.....

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक
तद दिनांक-10.3.17

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड-23/24/25/26 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद मुरादाबाद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, सिविल लाइन्स, बरेली को उपरोक्त शर्तों के सन्दर्भ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद् नियोजक.